सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 02, बुधवार, *शाके* 1947- सितम्बर 24, 2025
Asvina 02, Wednesday, Saka 1947- September 24, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2025

संख्या प. 20 (1) गृह-9/2025 :-यतः राज्य सरकार की यह राय है कि 108 आपात कालीन सेवाओ के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेन्टर सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पडेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से 108 आपात कालीन सेवाओ के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेन्टर सेवाओं जिनका संचालन सेवा प्रदाताओ के माध्यम से किया जा रहा है, के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओ को एतद्द्वारा दिनांक 19.09.2025 से आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2025

संख्या प. 20 (1) गृह-9/2025 :-यतः राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-09-2025 के द्वारा 108 आपात कालीन सेवाओ के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामशZ सेवाओं एवं कॉल सेन्टर सेवाओं को दिनांक 19-09-2025 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप-धारा (1) की शक्तियों को प्रयोग करते हुये 108 आपात कालीन सेवाओ के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस सेवा, ममता एक्सप्रेस,

104 चिकित्सा परामर्श सेवाओं एवं कॉल सेन्टर सेवाओं में हड़ताल किये जाने को एतद्द्वारा दिनांक 19.09.2025 से आगामी छः माह तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महेश कुमार शर्मा,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।